


राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—स. 3—(16)(25)स्था/मंत्रा/विविध/अभि/15/ 5669-700 दिनांक :- 25/4/18
प्रेषिति:—

समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान।

विषय:— राज्य सरकार के सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों से कनिष्ठ सहायक के पदों पर संविदा के रूप में अस्थाई नियुक्ति दिये जाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा लिपिक ग्रेड—द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है, कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियमित कार्मिक लगाया जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों से संविदा पर अपनी सेवाये देने के क्रम में राज्य सरकार के विभिन्न प्रवर्तनीय आदेशों तथा कार्मिक विभाग के द्वारा समय—समय पर जारी प्रवर्तनीय परिपत्रों के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर संविदा पर अस्थाई नियुक्ति हेतु प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर पूर्ण पाये जाने पर निदेशालय को भिजवाये तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि संविदा कार्मिक या नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक अपने स्तर पर उपलब्ध मंत्रालयिक कर्मचारियों से ही राज्य कार्य सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करे।


(अश्वन्नु भारद्वाज)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(स्थाय), राजस्थान जयपुर